RTI / Speed Post

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

फाइल संख्या वीपीएस–55/01/आरटीआई/113/2016–17

फरवरी 8, 2017

श्री पी. के. पाण्डेय
अनु सचिव एवं जनसूचना अधिकारी,
मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
मुख्य सचिव कार्यालय,
लखनऊ।

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

श्री सुरेश सिंह पुत्र स्व. श्री फतेह बहादुर सिंह निवासी बुढपुर मछरिहा, थाना–नौबस्ता, जनपद–कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश का 3.2.2017 का पत्र दिनांक 6.2.2017 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने 10/– रुपए का पोस्टल आर्डर संख्या 36एफ 648130 संलग्न कर अपने 3.12.2016 को इस सचिवालय को प्रेषित आवेदन जोकि इस सचिवालय को 6.12.2016 को प्राप्त हुआ था तथा जिसे 15.12.2016 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को अग्रसारित किया गया था (प्रति संलग्न) पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है चूंकि पत्र की विषय–वस्तु उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है। अंतः इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय–वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

/

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थः
श्री सुरेश सिंह पुत्र स्व. श्री फतेह बहादुर सिंह निवासी बुढपुर मछरिहा, थाना–नौबस्ता, जनपद–कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

Kamaljit Singh
8/2/17

RTI No. 113

सेवा में,

दिनांक : 03.02.2016

श्रीमान् केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी महोदय,
कार्यालय महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय,
उपराष्ट्रपति भवन,
भारत सरकार,
6, मौलाना आजाद रोड़, नई दिल्ली – 110011

6/12/16 Received

Dy. No. 564 Dated 6/2/17

विषय : जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत जनसूचना प्राप्त करने हेतु।

संन्दर्भ : मौजा बुढपुर मछरिहा, थाना–नौबस्ता, तहसील व परगना–कानपुर सदर जिला–कानपुर नगर उ0प्र0 स्थित गाटा सं0 1002/3 रकबई 6 बिस्वा (0.0610) हे0 का मुआवजा दिलाने हेतु प्रार्थना–पत्र तारीखी 03.12.2016।

महोदय,

प्रार्थीगण सुरेश सिंह, नरेश सिंह, बृजेश सिंह, पुत्रगण फतेह बहादुर सिंह, रमेश सिंह व उपेन्द्र सिंह पुत्रगण राजबहादुर सिंह निवासीगण ग्रांम–बुढपुर मछरिहा थाना–नौबस्ता, जिला–कानपुर नगर उ0प्र0 208021 है।

प्रार्थीगण ने दिनांक 03.12.2016 को प्रार्थीगण के खेत गाटा सं0 100223 मौजा बुढपुर मछरिहा का मुआवजा ने मिलने के कारण प्रार्थना–पत्र दिया था। प्रार्थी उपरोक्त के बावत निम्न सूचनाएं प्राप्त करना चाहता है। प्रार्थी सुरेश सिंह उक्त का पैरोकार हैं।

1. यहकि उपरोक्त प्रा0पत्र श्रीमान् जी को प्राप्त हो चुका है।
2. उपरोक्त प्रा0पत्र पर श्रीमान् जी के स्तर से अभी तक क्या कार्यवाही की गयी।
3. वर्तमान में प्रार्थना–पत्र किस अधिकारी के पास किस कार्यवाही हेतु कब से लम्बित पड़ा है। अदयतन स्थिति से अवगत कराने की कृपा करें।

नोट – प्रार्थी उपरोक्त सूचनाएं प्राप्त करने हेतु एक 10/– रू0 कीमत भारतीय पोस्टल आर्डर सं0 36F 648130 मूल रूप से संलग्न किया है।

प्रार्थी

सुरेश सिंह

दिनांक : 03.02.2017

(सुरेश सिंह)
पुत्र स्व0 फतेह बहादुर सिंह उर्फ फत्ते सिंह
नि0 बुढपुर मछरिहा, थाना–नौबस्ता
जनपद–कानपुर नगर।

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

फाइल संख्या वीपीएस 15/12/2016 (P)

15 दिसंबर, 2016

श्रीयुत मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

प्रिय महोदय,

श्री सुरेश सिंह पुत्र श्री फतेह बहादुर सिंह निवासी मकान नं. 76 बूढपूर मछरिया गांव, थाना नौबस्ता, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश का 03.12.2016 का पत्र इस सचिवालय में 06.12.2016 को प्राप्त हुआ है जिसके माध्यम से इन्होंने अपनी भूमि गाटा सं./खसरा सं. 1002/3, रकबई 6 बिस्वा का मुआवजा 30 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक न मिलने के संबंध में शिकायत की है, अत: पूर्ण विवरण युक्त इनका पत्र मूल रूप में उचित ध्यानाकर्षण हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है।

सधन्यवाद,

भवदीय,

/

(हुरबी शकील)

प्रति सूचनार्थ -
श्री सुरेश सिंह पुत्र श्री फतेह बहादुर सिंह निवासी मकान नं. 76 बूढपूर मछरिया गांव, थाना नौबस्ता, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश
कृपया पत्र के संदर्भ में श्रीयुत मुख्य सचिव, लखनऊ के कार्यालय से सम्पर्क करें।

हुरबी शकील
(हुरबी शकील)

Narain Singh
2/1/17